



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273637
CG-DL-E-19062026-273637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3118]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3118]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3241(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जून, 2026 की 19 तारीख को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्यांक 55 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. के-14011/15/2020-एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3241(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 19th day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 55 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), shall come into force.

[F. No. K-14011/15/2020-MRTS-II]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (Urban Transport)